न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 04 / 2021

1 युवराज सैनी पुत्र स्व. राकेश सैनी उम्र 5 वर्ष जरिये प्राकृतिक संरक्षिका/वादमित्र माता श्रीमती अनिता पत्नी स्व. राकेश जाति सैनी निवासी झुन्झुनू बाईपास सड़क, महादेव सिंह खण्डेला चौराहा, राधाकिशनपुरा, सीकर हाल आबाद न्यू जनता कॉलोनी, वार्ड नं. 42, पिपराली रोड़, सीकर तहसील एवं जिला सीकर (राज.)

2 श्रीमती अनिता पत्नी स्व. राकेश आयु 26 वर्ष जाति सैनी निवासी झुन्झुनू बाईपास सड़क, महादेव सिंह खण्डेला चौराहा, राधाकिशनपुरा, सीकर हाल आबाद न्यू जनता कॉलोनी, वार्ड नं. 42, पिपराली रोड़, सीकर तहसील व जिला सीकर (राज.)

अपीलांट

बनाम

1 गुरूदयाल पुत्र श्री जवाराराम जाति माली निवासी जयपुर–झुन्झुनू बाईपास, महादेव सिंह खण्डेला चौराहा, राधाकिशनपुरा, सीकर तहसील व जिला सीकर (राज.)

2 रामकरण पुत्र गुरूदयाल जाति माली निवासी जयपुर–झुन्झुनू बाईपास, महादेव सिंह खण्डेला चौराहा, राधाकिशनपुरा, सीकर तहसील व जिला सीकर (राज.)

3 गौरीशंकर पुत्र जवाराराम

4 छोटूराम पुत्र जवाराराम

5 तुलसीराम पुत्र जवाराराम समस्त जाति माली निवासीगण जयपुर–झुन्झुनू बाईपास, राधाकिशनपुरा, सीकर तहसील व जिला सीकर (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

6 उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयक कार्यालय सीकर तहसील व जिला सीकर (राज.)

7 भूमि धारक तहसीलदार जरिये प्रतिनिधि राज्य सरकार तहसील सीकर जिला सीकर (राज.)

8 इलाहाबाद बैंक शाखा सीकर तहसील एवं जिला सीकर (राज.) जरिये प्रबंधक

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध आदेश दिनांकित 26.10.2020 बउनवानी
युवराज सैनी बनाम गुरूदयाल आदि न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी महोदय, सीकर

उपस्थिति :

1. श्री विजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः—27-1-25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 08/2020 में पारित निर्णय दिनांक 26.10.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट द्वारा धारा 151 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम राधाकिशनपुरा की भूमि खसरा नम्बर 1496/171, 1497/171 व 1498/171 में प्रार्थीगण का विरासतन हक हिस्सा है। इस संदर्भ में वाद विचारण न्यायालय में लंबित है। वाद के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन में प्रार्थीगण के पक्ष में रिकार्ड के यथास्थिति का स्थगन जारी हो रखा है। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर भूमि के प्लाट काटकर इकरारनामें से विक्रय का प्रयास किया जा रहा है। इस पर यह आवेदन प्रस्तुत कर विचारण न्यायालय से विवादित भूमि की मोके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए निवेदन किया गया है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि ग्राम राधाकिशनपुरा की भूमि खसरा नम्बर 1496/171, 1497/171 व 1498/171 में प्रार्थीगण का विरासतन हक हिस्सा है। इस संदर्भ में वाद विचारण न्यायालय में लंबित है। वाद के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन में प्रार्थीगण के पक्ष में रिकार्ड के यथास्थिति का स्थगन जारी हो रखा है। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर भूमि के प्लाट काटकर इकरारनामें से विक्रय का प्रयास किया जा रहा है। इस पर यह आवेदन प्रस्तुत कर विचारण न्यायालय से विवादित भूमि की मोके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए निवेदन किया गया है। वाद के विचाराधीन रहते विवादित भूमि को खुर्दबुर्द होने से बचाने के लिए मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन जारी किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूलवाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन विचारण न्यायालय में लंबित है। अस्थाई

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सांभर

निषेधाज्ञा के आवेदन में विचारण न्यायालय द्वारा विवादित भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति के लिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। धारा 212 के अंतिम निर्णय से पूर्व उभयपक्ष को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय में लंबित आवेदन धारा 212 के अंतिम निस्तारण तक उभयपक्ष को विवादित भूमि ग्राम राधाकिशनपुरा की भूमि खसरा नम्बर 1496/171, 1497/171 व 1498/171 की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उनके समक्ष लंबित आवेदन धारा 212 का अंतिम निस्तारण आगामी 2 माह में किया जाना सुनिश्चित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.02.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 23-1-24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर